

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2013—भाद्र 15, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. ई.-5-370-आयएस-लीव-एक-5.—श्री आई. एस. दाणी, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग वर्तमान में लघुकृत अवकाश पर हैं. श्री दाणी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को सौंपा जाता है.

क्र. ई.-5-869-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी को दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश

कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. ई.-1-220-2013-5-एक.—अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंधिया जे. पी., भाप्रसे. (2008) की सेवाएं अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय

तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर नियुक्ति के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सौंपी जाती हैं।

(2) उपरोक्तानुसार सुश्री आईरिन सिंधिया जे. पी. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची II बी में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-1-230-2013-5-एक.—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2011 बैच के सीधी भरती के नीचे खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, खाना (3) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना	प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री हरजिंदर सिंह, सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा, जिला रतलाम.
2	श्री मोहित बुंदास, सहायक कलेक्टर, ग्वालियर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया, जिला मण्डला.
3	सुश्री नेहा मारव्या, सहायक कलेक्टर, बैतूल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया, जिला भोपाल.
4	श्रीमती रूचिका चौहान, सहायक कलेक्टर, सीहोर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.
5	श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी, सहायक कलेक्टर, इन्दौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैहर, जिला सतना.

(2) मसूरी से दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2011 बैच के निम्न भाप्रसे अधिकारी उनके नाम के समक्ष खाना (3) में उल्लेखित जिले में यथा स्थान पदस्थ रहेंगे:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(1)	(2)	(3)
1	सुश्री अनुग्रह पी	उज्जैन

(1)	(2)	(3)
2	श्री बी. विजय दत्ता	रीवा
3	श्री सौरभ कुमार सुमन	जबलपुर
4	श्री विजय कुमार जे.	सागर

क्र. ई.-5-425-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएएस., प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 9 से 28 सितम्बर 2013 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 29 सितम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-559-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष उपाध्याय, आयएएस., विकअ-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 19 अगस्त से 2 सितम्बर 2013 तक, पन्द्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती (डॉ.) मधु खरे, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2013 द्वारा दिनांक 17 से 25 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था के अनुक्रम में दिनांक 26 जून से 1 जुलाई 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती (डॉ.) मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती (डॉ.) मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-823-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 23 से 27 जुलाई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. ई.-5-462-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 31 जुलाई से 14 अगस्त 2013 तक, 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री ए. पी. श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय नाथ, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन

मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त को दिनांक 12 से 16 अगस्त 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10, 11 एवं 17, 18 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुनर्वास आयुक्त एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण लेखन सामग्री एवं प्रमुख राजस्व, आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. ई.-5-899-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री महेश चन्द्र चौधरी, आयएएस., कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा की अवकाश अवधि में कलेक्टर, छिन्दवाड़ा का चालू प्रभार श्रीमती तन्वी सुंदरियाल बहुगुणा, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. ई.-5-762-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. पी. अहिरवार, आयएएस., आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 20 से 26 अगस्त 2013 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री डी. पी. अहिरवार की अवकाश अवधि में डॉ. अशोक कुमार भार्गव, भाप्रसे., कलेक्टर, जिला शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. अहिरवार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. पी. अहिरवार द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. अहिरवार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-844-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला कटनी को दिनांक 22 से 27 अगस्त 2013 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 28 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड यू. शेख, राप्रसे, अपर कलेक्टर, विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड यू. शेख, कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. ई.-5-370-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई. एस. दाणी, भाप्रसे., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 3 से 16 अगस्त 2013 तक, चौदह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री आई. एस. दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. एस. दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. ई.-1-247-2013-5-एक.—श्री एम. एम. उपाध्याय, भाप्रसे. (1981), कृषि उत्पादन आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भी घोषित किया जाता है।

क्र. ई.-5-674-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को दिनांक 26 अगस्त से 3 सितम्बर 2013 तक, नौ दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 अगस्त 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, जल निगम मर्यादित के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्र. ई.-5-659-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. वेद, आयएएस., आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2013 द्वारा दिनांक 21 से 29 जून 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 25 जून 2013 तक, पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोंसले, अवर सचिव "कार्मिक".

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्र. एफ- 24-01-2012-बत्तीस-1.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 की धारा 28(1) के अन्तर्गत निम्नांकित जिलों के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के लिए भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:—

स.क्र.	जिला	अधिकारी जिसे भाड़ा नियंत्रक अधिकारी नियुक्त किया जाना है
(1)	(2)	(3)
1	सीहोर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीहोर / आष्टा / इछावर / नसरुल्लागंज / बुधनी.
2	शाजापुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाजापुर / शुजालपुर / आगर / सुसनेर.
3	राजगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ / ब्यावरा / नरसिंहगढ़ / सारंगपुर, पचौर / खिलचीपुर, जीरापुरा.
4	नीमच	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नीमच/ मनासा / जावद.
5	छतरपुर	जिले हेतु अपर कलेक्टर, छतरपुर
6	शिवपुरी	जिले हेतु अपर कलेक्टर, शिवपुरी
7	सतना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रघुराजनगर/ मैहर/ नागौद/ अमरपाटन/ रामपुर बाघेलान.
8	सागर	जिले हेतु उप जिलाध्यक्ष, सागर
9	रीवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हुजूर/ रायपुर कर्चुलियान/ मऊगंज/ हनुमना/ गुढ़/ त्योथर/ सिरमौर/ सेमरिया/ मनगवां/ जवा/ नईगढ़ी.
10	अलीराजपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अलीराजपुर (अलीराजपुर, कटिठवाडा, सोण्डवा). अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जोबट [जोबट, चन्द्रशेखर आजाद नगर, उदयगढ़, (टप्पा तहसील)].
11	भिण्ड	जिले हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भिण्ड.

(1)	(2)	(3)
12	मण्डला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया
13	दतिया	जिला स्तर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट, दतिया. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दतिया/ सेवदा/ भाण्डेर/ इन्दरगढ़.
14	होशंगाबाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), होशंगाबाद/ इटारसी/ सिवनी मालवा/ पिपरिया/ सोहागपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशीष सक्सेना, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्र. एफ-24-31-13-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि पीथमपुर जिला धार के स्थानीय समाधानकर्ता कारखाना मजदूर संगठन, इन्दौर एवं मान लखानी फुटकेयर प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

“अनुसूची”

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम.पी.आई.आर./12

No. F-24-31-13-A-XVI.— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960) the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the industrial dispute between Karkhana Mazdoor Sanghthan Indore and Lakhani Footcare Pvt. Ltd., Indore in regard to the industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the conciliator for the local area of Pithampur District Dhar.

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1/MP/IR/12

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता

संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्र. एफ-5-12-2011-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्रीमती रेखा राय को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, कटनी में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वतर हो तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है।

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहती हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी। सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा। सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे।

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. एफ-5-4-2012-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन चयन समिति की सिफारिश पर श्री बलवंत सिंह ठाकुर को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सागर में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु उसमें से जो भी पूर्वतर हो तक के लिए सदस्य नियुक्त करता है।

2. जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य प्रत्येक कार्य दिवस पर पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित रहेंगे। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे बिना उपयुक्त कारण के फोरम की बैठक में तीन बार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की जावेगी। सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा। सदस्य पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के प्रावधान बाध्यकारी होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. एफ-02(व)01-2013-तीन जेल.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश जेल मैनुअल के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल ग्वालियर के लिये श्रीमती अर्चना नागरानी (झा) पति श्री राम झा, झूलेलाल मंदिर के पीछे, माधवगंज, लश्कर, ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है। राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है।

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. एफ-19-02-2013-तीन जेल.—राज्य शासन, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-118-91-तीन-जेल, दिनांक 22 अगस्त 1992 जिसके द्वारा कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 9) की धारा 59(8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुरानी केन्द्रीय जेल, भोपाल को दिनांक 22 अगस्त 1992 से जिला जेल, द्वितीय श्रेणी, भोपाल में वर्गीकृत किया गया था, को दिनांक 15 सितम्बर 2013 से दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक की अवधि के लिये स्थगित रखता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. एफ-13-11-2013-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, संजय गांधी ताप विद्युत् गृह क्रमांक बिरसिंहपुर की इकाई क्रमांक 3 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4470 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 14 अगस्त 2013 से 13 नवम्बर 2013 तक तीन माह के लिये छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की

धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. रफीक खान, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2013

फा. क्र. 1-1-88-3430-13-इक्कीस-ब(एक).— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 41 और 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा

उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“41.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	शाजापुर
49.	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	(पश्चिम निमाड़) मण्डलेश्वर.”

F. No. 1-1-88-3430-13-XXI-B(1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), Dated 24th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette” Part-1, dated 6th November 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial Number 41 and 49 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Sessions Judge/ Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“41.	Ist Additional Sessions Judge, Shajapur	Shajapur
49.	Ist Additional Sessions Judge, (West Nimar) Mandleshwar.	(West Nimar) Mandleshwar.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. एफ. 67-15-12-तीन-922.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई, 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बम्हनी बंजर, जिला मंडला के निर्वाचन में श्री मनोहर लाल मसराम अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगर परिषद् बम्हनी बंजर, जिला मंडला के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 09 अगस्त, 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी मंडला के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंडला के पत्र क्र. निर्वा./न.पा.-4-1-12-196, दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मनोहर लाल मसराम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मनोहर लाल मसराम को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2012 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस

कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री मनोहर लाल मसराम को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर मंडला ने अपने पत्र दिनांक 29 सितम्बर 2012 में लेख किया कि अभ्यर्थी श्री मसराम द्वारा आवेदन दिनांक 28 सितम्बर 2012 को प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि व्यय लेखा पारिवारिक कारणों से समय पर जमा नहीं किया गया. उनकी माता का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 8 जुलाई 2012 को उन्हें आपरेशन के लिये भर्ती कराये जाने के कारण उनकी देख रेख में जुटे रहने से व्यय लेखा समय अवधि में जमा नहीं किया गया.

अतः, आयोग द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित हुए.

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में माता जी को अस्पताल में भर्ती करने की तारीख 04 सितम्बर 2012 है, जबकि लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख 09 अगस्त 2012 थी. इस प्रकार अभ्यर्थी की माता जी लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख के पश्चात् अस्पताल में भर्ती हुई थीं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री मनोहर लाल मसराम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बम्हनी बंजर, जिला मंडला का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (वर्ष पांच) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 8 अगस्त 2013

(दिनांक 8-8-2013 को पारित)

क्रमांक 328-8-एस.डब्ल्यू.-2013.—दिनांक 6 अगस्त 2013 को सतना शहर में घटित घटना के अनुक्रम में सतना शहर एवं आस-पास कानून व्यवस्था एवं आम शान्ति बनाए रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी.

वर्तमान में स्थिति सामान्य है.

अतः एतद्वारा उक्त निषेधाज्ञा आज दिनांक 8 अगस्त 2013 को सायं 5.00 बजे से समाप्त की जाती है.

आज दिनांक 8-8-2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

मोहन लाल, जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 175-5अ-एससी-2-13.—एतद्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सतना जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी, सतना के लिये श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना मध्यप्रदेश के स्थान पर श्री सत्यदेव शर्मा, संचालक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना, निवासी ग्राम हड़खार, पोस्ट चोरबरी, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना का नाम प्रस्तावित प्रतिनिधि हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र.	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम व पता	प्राप्त प्रस्ताव	पद जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किये गये
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सत्यदेव शर्मा, संचालक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित सतना निवासी ग्राम हड़खार पोस्ट चोरबरी विकास खण्ड सोहावल जिला सतना म. प्र.	अध्यक्ष जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सतना.	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति सतना.

मोहन लाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. कले-जबल-एस. डब्ल्यू.-7090-2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्र.-2) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्र. 2-(क)-15-99 बी-3 दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्र. एफ-2-(क)-09-08-बी-3 दो, दिनांक 5 सितम्बर 2013 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त 2010 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:—

एक—नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नम्बर—(2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है.

दो—सारणी के कालम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नम्बर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:—

पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है (1)	ग्रामों एवं कालोनियां क्षेत्रों के नाम		पुलिस थाने का नाम/तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है (3)
	नाम	बंदोबस्त नम्बर वार्ड नम्बर	
थाना मादोताल जिला जबलपुर	उजरोड	18	थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर
थाना मादोताल जिला जबलपुर	बेनीखेड़ा	18	थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर
थाना मादोताल जिला जबलपुर	बिनेकी	17	थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर
थाना मादोताल जिला जबलपुर	आरछा	17	थाना भेड़ाघाट जिला जबलपुर
थाना बेलखेड़ा जिला जबलपुर	मालाखुर्द	361	थाना पाटन जिला जबलपुर
थाना बेलखेड़ा जिला जबलपुर	पोड़ीकला	263	थाना पाटन जिला जबलपुर
थाना बेलखेड़ा जिला जबलपुर	पोड़ीखुर्द	264	थाना पाटन जिला जबलपुर

No. S. W. 7090-2013.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No.-F2-(K)-15-99-08-B-3-two, Dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector, SP & DPO. In meeting Dated 5th September 2013 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) thereof and.
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said table:—

Name of the Police Station (with tehsil and the District) from which excluded (1)	Name of village/local places Name of village/ Local Areas Settlement No. (2)		Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
	Police Station Madotal, District Jabalpur	Ujroad	
Police Station Madotal, District Jabalpur	Benikheda	18	Police Station Bheraghat District Jabalpur
Police Station Madotal, District Jabalpur	Beneki	17	Police Station Bheraghat District Jabalpur
Police Station Madotal, District Jabalpur	Archha	17	Police Station Bheraghat District Jabalpur
Police Station Balkheda District Jabalpur	Malakhurd	361	Police Station Patan District Jabalpur
Police Station Balkheda District Jabalpur	Podikala	263	Police Station Patan District Jabalpur
Police Station Balkheda District Jabalpur	Podikhurd	264	Police Station Patan District Jabalpur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 1957-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोलहड़	0.048	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म.प्र.)	टोन्स नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1959-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	पोड़ी	0.384	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म.प्र.)	टोन्स नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1961-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	सपहा	0.40	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म.प्र.)	टोन्स नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1963-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रूपौली	0.416	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म.प्र.)	टोन्स नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1965-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	मकरवट	1.168	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म.प्र.)	टोन्स नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1967-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	नन्दिनीपुर	1.12	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म.प्र.)	टोन्स नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1969-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बीरखाम	1.088	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म.प्र.)	टोन्स नहर के बायें पार्श्व में अतिरिक्त सैच्य क्षेत्र विकसित करने हेतु माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. 1994-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	महाडांडी	1.153	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़	गुढ़-मऊंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाडांडी शाखा नहर के निर्माण में छूटे खसरे एवं विस्तार.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 1998-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पांती	1.612	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांती शाखा नहर के निर्माण में छूटे खसरे एवं विस्तार

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2000-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	सहिजना	1.224	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु. सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत सहिजना शाखा नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 996-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा,

इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	खरगोन	पिपरी	130.445 हे. निजी भूमि एवं शासकीय भूमि ना. का. चरनोई 0.276 हे. पर स्थित केवल संरचनाएं (मकान) व 9.988 हे. पर स्थित तार फेन्सिंग एवं प्लानटेशन (भूमि को छोड़कर)	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य बेलेन्सिंग रिजर्ववायर-3, राईजिंग मेन-4.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 997-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	गोगांवा	मेनगांवखुर्द	3.450	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 998-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा,

इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	गोगांवा	टेमरना	4.260	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन.	खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-1 हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. 963-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह. 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	सेल्दा	1.956	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, खरगोन.	एनटीपीसी प्लांट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 964-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह. 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	कातोरा	2.159	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, खरगोन.	एनटीपीसी प्लांट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 969-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1), सह. 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	आरसी	8.011	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, खरगोन.	एनटीपीसी प्लांट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. 2690-भू-अ-2013 प्र. क्र.-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	सोण्डवा	सोलिया	0.06	जल संसाधन विभाग, अलीराजपुर.	सोलिया तालाब नहर कार्य हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 अगस्त 2013

प्र. क्र. 6-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	छतरपुर	गहरवार	60.000	भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर	तरपेड़ बांध परियोजना के भराव में अर्जित भूमि.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 33-अ-82-12-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	कोंहली प.ह.नं. 63	4.41	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	उर्रम जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 34-अ-82-12-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	उर्रम प.ह.नं. 79	25.09	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	उर्रम जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82-12-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	हीरापुर प.ह.नं. 65	5.70	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	घुघरा नाला (हीरापुर) जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 27 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-7768.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	घाना	1.060	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	झिरी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं बांध निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-7764.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	डुडरिया	2.056	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बादलडोह जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-7765.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	खारी	1.832	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बादलडोह जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-7766.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आमला	गुबरेल	0.899	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	बादलडोह जलाशय की माइनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 31-अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-7767.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	मल्हारा	12.825	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	मल्हारा जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 7884-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	मोतीपुरा (खाती)	17.087	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	मोतीपुरा (खाती) तालाब निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ / भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7886-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि					
राजगढ़	राजगढ़	बांकपुरा	0.506	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कानबे तालाब की नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	कानबे	0.288		
			योग . .		
डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि					
राजगढ़	राजगढ़	डेंडिया	0.506	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कानबे तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	कानबे	1.320		
राजगढ़	राजगढ़	तिन्दोनिया	1.510		
			योग . .		
			कुल योग . .		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. प्र. भू-अर्जन-9812-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)	(6)	(7)
सागर	केसली	ईदलपुर	20	11.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर (म.प्र.)	सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू-अर्जन-9813-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	सूरजपुरा	63	118.14	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर (म.प्र.)	सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू-अर्जन-9814-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	नाहरमऊ	30	17.51	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर (म.प्र.)	सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू-अर्जन-9815-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.			कुल रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	खजुरिया	72	49.89	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर (म.प्र.)	सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू-अर्जन-9816-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.			कुल रकबा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	घाना	82	66.15	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर (म.प्र.)	सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू-अर्जन-9817-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	कुल खसरा नं. (4)	कुल रकबा (हे. में.) (5)	(6)	(7)
सागर	केसली	पलोह	175	88.85	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला सागर (म.प्र.)	सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना अन्तर्गत शीर्ष निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 2, केसली, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. भू-अर्जन (अ-82)-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्र. (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	मण्डला	1. कन्हार	8.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, मण्डला.	कटंगी जलाशय के निर्माण हेतु,
		प.ह.नं. 73			
		2. बनियातारा	0.25		
		प.ह.नं. 73			
		योग . .	8.42		

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 19 जुलाई 2013

क्र. 39-अ-82- 12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डवरा	कल्याणी-III	0.092	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डवरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
			योग . . . 0.092		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्र. 5999-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अजित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	ताराडांड	20.046	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर.	ताराडांड जलाशय के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
		अगरियानार	24.355		
		कराटोला	10.138		
		दुलहरा	01.30		
		अनूपपुर	01.40		
			योग . . . 57.239		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनूपपुर जिला-अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. 3829-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	चन्देरा	निजी 13.80 शास. 01.26	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेलवे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

योग . . 15.06

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3831-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	पाटड़ी	निजी 05.33 शास. 06.87	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेलवे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

योग . . 12.20

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3833-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	कलता	निजी 06.01 शास. 01.05	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

योग . . 07.06

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3835-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	आम्बापाड़ा	निजी 04.63 शास. 00.86	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

योग . . 05.49

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3837-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 20-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	कालाखेत	निजी 07.81 शास. 08.42	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

योग . . 16.23

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 3839-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 22-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	गुड़भेली	निजी 13.46 शास. 02.02	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेलवे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
योग . . .				15.48	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3841-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	सेरा	निजी 09.56 शास. 07.16	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेलवे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
योग . . .				16.72	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3843-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं।

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	टोरी	निजी 08.55 शास. 08.03	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

योग . . 16.58

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3845-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	देवडुंगरा	निजी 05.92 शास. 00.48	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

योग . . 06.40

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3847-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	पिण्डवारा	निजी 07.85 शास. 02.48	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
योग . .				<u>10.33</u>	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3849-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	बेड़दा	निजी 06.27 शास. 00.72	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डूंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
योग . .				<u>06.99</u>	

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3851-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	अलकाखेड़ा	निजी 07.66 शास. 05.50	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेलवे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित इंगारपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
योग . .					
13.16					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3853-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	पूनापाड़ा	निजी 01.44 शास. 00.94	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेलवे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित इंगारपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
योग . .					
02.38					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम. दिनांक 16 अगस्त 2013

क्र. 3867-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	सैलाना	भेड़ली	निजी 10.86 शास. 14.37	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) उत्तर पश्चिमी रेलवे, बांसवाड़ा (राजस्थान).	प्रस्तावित डुंगरपुर-रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.
योग . . .					
25.23					

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. भू-अर्जन-2013-68.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	कीटखेडी	9.933	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.	कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट :-भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2013-69.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	लोधाखेडी	4.593	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.	कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट :-भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2013-70.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	मगरिया	1.597	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.	कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2013-71.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	जेतपुरा	1.398	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.	कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2013-72.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	सरदारपुर	3.749	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.	कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2013-73.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	सुसनेर	धतुरिया	1.438	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर.	कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोट :—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2013

प्र. क्र. 7-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	विल्ट	4.078	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर (L.B.C.) का निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	रामनगर	2.488	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर (L.B.C.) का निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु
(3) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 9-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	मजरा मकारा	6.210	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर (L.B.C.) का निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु
(3) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 10-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	राजापुर	3.514	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर (L.B.C.) का निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरूआ नाला तालाब योजना की बांयी तट नहर के निर्माण हेतु
(3) ग्राम की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

टीकमगढ़, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 19-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय

की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सूड़ा धरमपुरा	30.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़.	बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सूड़ा धरमपुरा की भूमि का अर्जन भूमि का नक्शा के विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 अगस्त 2013

प्र. क्र. 02-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	लटेरी	छिरारी	6.288 योग. . 6.288	भू-अर्जन अधिकारी, लटेरी.	सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी लटेरी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	पिण्डरई प.ह.नं. 51 बंदो. नं. 362	अ.शा. भूमि 1.400	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दांयी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	खामी प.ह.नं. 52 बंदो. नं. 114	अ.शा. भूमि 0.640	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दांयी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	साल्हे कला प.ह.नं. 21/65 बंदो. नं. 563	अ.शा. भूमि 4.040	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दांयी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	काँचना प.ह.नं. 21/43 बंदो. नं. 61	अ.शा. भूमि 6.080	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	काँचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं काँचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	गोरखपुर प.ह.नं. 52 बंदो. नं.139	अ.शा. भूमि 1.010	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	काँचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं काँचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	मंडी प.ह.नं. 53 बंदो. नं.510	अ.शा. भूमि 6.160	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	काँचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं काँचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे. में.)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	जावरकाठी प.ह.नं. 53/23 बंदो. नं. 207	अ.शा. भूमि 5.150	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	काँचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं काँचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे. में.)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	जैवनारा प.ह.नं. 53 बंदो. नं.217	अ.शा. भूमि 3.260	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	काँचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं काँचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे. में.)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	बरघाट प.ह.नं. 80 बंदो. नं.72	अ.शा. भूमि 4.450	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	काँचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं काँचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	सरेखा कलाँ प.ह.नं. 52/22 बंदो नं. 543	अ.शा. भूमि 1.890	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	काँचना मंडी लघु जलाशय यूनित 2 दायी मुख्य नहर एवं काँचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	माँनेगांव प.ह.नं. 66 बंदो. नं. 479	अ.शा. भूमि 1.300	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	काँचना मंडी लघु जलाशय यूनित 2 दायी मुख्य नहर एवं काँचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5769-कलेक्टर-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	निम्न सर्वे नं. का लगभग क्षेत्र (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	मोहगांव प.ह.नं. 52 बंदो. नं. 503	अ.शा. भूमि 6.740	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी.	कॉचना मंडी लघु जलाशय यूनिट 2 दायी मुख्य नहर एवं कॉचना माईनर.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-233.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	पोहरी	बरोद	338	0.020	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
			339	0.020		
			344	0.090		
			346	0.080		
			363	0.010		
			364	0.040		
			368	0.010		
			369	0.010		
			370	0.080		
			371	0.050		
			374	0.010		
			375	0.060		
			376/2	0.010		
			445	0.040		
			460	0.010		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			461	0.120	
			462	0.120	
			463	0.120	
			464	0.170	
			466	0.010	
			470	0.030	
			479	0.290	
			481	0.010	
			482	0.080	
			483	0.010	
			484	0.020	
			485	0.020	
			486/2	0.130	
			487	0.090	
			488	0.040	
			534	0.050	
			536	0.050	
			664	0.010	
			668	0.020	
			669	0.020	
			670	0.010	
			671	0.010	
			673	0.010	
			674	0.060	
			677	0.040	
			678	0.010	
			679	0.040	
			681	0.040	
			682	0.030	
			688	0.010	
			692	0.050	
			695	0.010	
			696	0.040	
			698	0.040	
			699	0.060	
			700	0.070	
			701	0.010	
			741	0.010	
			742	0.150	
			778	0.350	
			779	0.070	
			योग	<u>3.070</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2013-238.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	बैराड	अमरोदी	125	0.050	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
			127	0.070		
			132	0.040		
			133	0.050		
			226	0.060		
			227	0.100		
			228	0.070		
			266	0.050		
			271	0.080		
			272	0.110		
			277	0.090		
			290	0.170		
			300	0.080		
			301	0.080		
			302	0.090		
			303	0.100		
			314	0.050		
			315	0.150		
			320	0.150		
			323	0.170		
			योग .	1.810		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पोहरी, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-244.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	पोहरी	रसेरा	135	0.120	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
			136	0.250		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			140	0.290	
			141	0.120	
			142	0.120	
			171	0.010	
			172	0.140	
			173	0.060	
			174/1	0.010	
			176/1	0.010	
			177	0.240	
			218	0.010	
			235	0.030	
			237	0.020	
			238	0.020	
			245	0.130	
			246	0.090	
			788	0.190	
			789	0.080	
			790	0.010	
			794	0.080	
			795	0.050	
			796	0.080	
			योग .	<u>2.160</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-251.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	पोहरी	पचीपुरा	492	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	पचीपुरा दायां तट
			493	संभाग, शिवपुरी.	निर्माण कार्य.
			494		
			497		
			498		
			505		
			508/2		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			560	0.15	
			561/1	0.13	
			561/2	0.10	
			568	0.04	
			571	0.08	
			572	0.10	
			573	0.01	
			581	0.05	
			582	0.08	
			592	0.03	
			603	0.10	
			605	0.06	
			619/1	0.04	
			620/1	0.05	
			620/2	0.18	
			620/3	0.07	
			626	0.12	
			627	0.17	
			628	0.10	
			630	0.09	
			631	0.05	
			641	0.02	
			643	0.06	
			644	0.11	
			645	0.01	
			योग.	3.48	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-258.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन			खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
जिला	तहसील	ग्राम			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)				
शिवपुरी	पोहरी	गोनदोलीपुरा	451	0.010	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
			459	0.100		
			460	0.150		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			464	0.200		
			467	0.130		
			478	0.180		
			495	0.090		
			497	0.110		
			499	0.140		
			510/1	0.060		
			512	0.090		
			513	0.040		
			514	0.050		
			515	0.030		
			योग.	1.380		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-289.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	बैराड	टोरिया	843	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शिवपुरी.	पचीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
			1655	0.01		
			1656	0.15		
			1660	0.16		
			1689	0.03		
			1691	0.21		
			1692	0.16		
			1693	0.03		
			1700	0.13		
			1750	0.08		
			1752	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1753	0.03	
			1754	0.22	
			1755	0.02	
			1759	0.01	
			1761	0.14	
			1762	0.20	
			1768	0.04	
			1782	0.09	
			1783	0.08	
			1784	0.04	
			1785	0.04	
			1786	0.01	
			1846	0.05	
			1870	0.15	
			1871	0.01	
			1873	0.03	
			1876	0.03	
			1877	0.17	
			1878	0.24	
			1879	0.09	
			1882	0.02	
			1885	0.05	
			1887	0.09	
			1894	0.27	
			1901	0.20	
			1902	0.05	
			1903	0.16	
			1904	0.20	
			योग .	<u>3.79</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 3 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 19-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	चंद्रपुरा	98.186	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	रामगढ़ तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 20-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	रामगढ़	34.795	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	रामगढ़ तालाब योजना के डूबक्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 21-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस

आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	हरपुरा	1.256	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 22-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	पठरा	0.280	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 23-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	हृदयनगर	0.640	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा.	रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-599-601-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अनुसूची			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अशोकनगर	अशोकनगर	तूमेन	70	0.180	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर (म. प्र.).	बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.
		हल्का	69	0.328		
		57	24	0.324		
			23	0.230		
			22	0.129		
			9	0.233		
			8	0.120		
			7	0.074		
			5	0.290		
			2	0.112		
			298	0.187		
			297	0.013		
			312	0.538		
			317	0.010		
			320	0.140		
			351	0.075		
			367	0.024		
			424	0.050		
			423	0.043		
			422	0.060		
	368	0.118				
	395	0.013				
	394	0.108				
	396	0.086				
	421	0.073				
	399	0.010				
	401	0.191				
	414	0.135				
	408	0.108				
	412	0.259				
	योग		4.261			

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-603-607-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता

पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अशोकनगर	अशोकनगर	आमखेड़ा हल्का	827	0.403	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर (म. प्र.).	बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.
			825	0.029		
			824	0.229		
			815	0.259		
			458	0.090		
			459	0.086		
			460	0.058		
			464	0.014		
			467	0.162		
			468	0.137		
			473	0.137		
			475	0.058		
			योग	1.662		

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-608-611-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
अशोकनगर	अशोकनगर	मढ़ी तूमेन हल्का	205	0.050	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर (म. प्र.).	बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.	
			207	0.023			
			210	0.100			
			25	211			0.100
			213	0.100			
			312	0.005			
			311	0.100			
			310	0.060			
			320	0.040			
			309	0.100			
			322	0.025			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			306	0.418		
			305	0.060		
			329	0.025		
			300	0.252		
			299	0.100		
			330	0.126		
			288	0.020		
			295	0.150		
			294	0.038		
			83	0.050		
			85	0.022		
			86	0.022		
			93	0.101		
			90	0.076		
			101	0.020		
			106	0.065		
			105	0.086		
			104	0.101		
			59	0.111		
			53	0.030		
			52	0.065		
			89	0.010		
			91	0.040		
			49	0.300		
			योग	2.991		

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-613-616-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अशोकनगर	अशोकनगर	जुगिया	131/1	0.123	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर (म. प्र.).	बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.
		हल्का	132/2	0.091		
		58	133	0.001		
			134	0.233		
			142	0.065		
			141	0.110		
			144	0.600		
			222/2क	0.104		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			222/2ख	0.162		
			220/3	0.039		
			220/4	0.097		
			164	0.130		
			189	0.030		
			188	0.072		
			192	0.094		
			193	0.040		
			208	0.013		
			210/4	0.162		
			212/2	0.216		
			212/1	0.117		
			212/4	0.023		
			योग	<u>2.522</u>		

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-618-621-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अशोकनगर	अशोकनगर	अनन्तपुर हल्का 47	184 185 में 186 187 188/2 188/1 176 191 192 193 173/1 173/2 195 137/2 137/1 136 134	0.103 0.032 0.032 0.042 0.020 0.032 0.028 0.098 0.033 0.070 0.037 0.019 0.055 0.112 0.123 0.132 0.032	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर (म. प्र.).	बरखेड़ा छज्जू एल.बी.सी. की नहर निर्माण हेतु.
			योग	<u>1.000</u>		

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू-भू-अर्जन-623-626-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अशोकनगर	अशोकनगर	जलालपुर हल्का नं. 49	212	0.066	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर जिला अशोकनगर (म. प्र.).	बरखेड़ा छज्जू तालाब की वांयी तट नहर निर्माण हेतु.
			211	0.204		
			210	0.185		
			207	0.100		
			204	0.233		
			240/1क	0.100		
			241	0.116		
			240/2	0.025		
			239	0.150		
			236/3	0.117		
			236/2	0.094		
			231/2	0.135		
			233	0.015		
			402	0.300		
			433	0.155		
423	0.001					
योग	1.995					

(2) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण, भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	अशोकनगर	सुमेर हल्का नं. 45	32.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म. प्र.	बरखेड़ा छज्जू तालाब निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण, भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दासौर, दिनांक 31 अगस्त 2013

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13-क्र. 2781-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दासौर	मल्हारगढ़	आक्याबीका	24.640	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मन्दासौर.	आक्याबीका तालाब परियोजना.
			योग . . 24.640		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मन्दासौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13-क्र. 2783-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दासौर	मल्हारगढ़	रूपारेल	2.720	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मन्दासौर.	आक्याबीका तालाब परियोजना.
			योग . . 2.720		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मन्दासौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में

उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	शामगढ़	बनी	1.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मन्दसौर.	बनी तालाब योजना.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मन्दसौर, दिनांक 1 सितम्बर 2013

ई. क्र. 255-2013-प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	सीतामऊ	पारली	0.510	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.	रहिमगढ़ तालाब योजनांतर्गत नहर हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ जिला मन्दसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

ई. क्र. 254-रीडर-2013-प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	सुवासरा	बसई	3.190	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.	आसपुरा तालाब सिंचाई योजना.
मन्दसौर	सुवासरा	बांगली	5.120	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मन्दसौर.	आसपुरा तालाब सिंचाई योजना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 40-अ-82- 12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
ग्वालियर	भितरवार	रिठौंदन	0.228	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा.	हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
			योग . .		
			0.228		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 41-अ-82- 12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
ग्वालियर	चीनौर	बेरनी-2	0.410	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा 16 की उपशाखा 1 एल के निर्माण हेतु.
			योग . .		
			0.410		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 29 जुलाई 2013

क्र. 1638-भू-अर्जन-नहर-13-प्र. क्र. 36-अ-82-2012-
13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
नीचे दिए गए अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची
के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की
धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—ठीकरी
(ग) ग्राम—गवला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.312 हेक्टर.

खसरा नं.	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
23/1, 24	1.170
25/1/1/1/1/2	0.100
26/2, 30/2	0.570
27/1, 28/1	0.235
90/1/1, 90/2/1	0.460
90/1/2, 90/2/2, 93/1	0.412
98/2/1	0.240
98/2/2	0.240
100/1, 102/4	0.630
101/1/1, 102/2	0.320
101/1/2	0.320
102/3, 103, 104, 105	0.625
106/1/1, 106/1/2, 107	1.010
106/1/3, 106/2, 110/1/2	0.160
110/1/1	0.290
110/1/3	0.405
110/2	0.200

(1)	(2)
112/1	0.225
112/2	0.180
112/3	0.180
113/1/1	0.290
113/1/2	0.300
113/2/1	0.160
113/2/2	0.220
114	0.370
योग.	9.312

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता
है—इंदिरा सागर परियोजना सेगवाल उप नहर के
निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर
परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-14, ठीकरी, जिला बड़वानी के
कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा
सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. 3827-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 03-अ-82-2012-
13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के
पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की
धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना

(ग) ग्राम—कुंवरपाड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.46 हेक्टर.

ग्राम कुंवरपाड़ा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे क्रमांक (1)	रकबा (हे. में) (2)
64/1	0.11
64/2	0.04
96	0.13
80	0.28
81	0.27
82	0.27
8	0.03
151	0.10
152	0.06
153	0.02
154	0.15
67	1.00
70	0.35
69/1	0.41
69/2	0.38
73	0.30
74	0.19
77/1	1.13
77/2	1.24
65	0.34
68	0.12
75	0.16
63/239	0.04
योग : 7.12	

ग्राम कुंवरपाड़ा की प्रभावित सरकारी भूमि का विवरण

सर्वे क्रमांक (1)	रकबा (हे. में) (2)
66	0.81
78	0.06
71	0.22
79	0.04
76	0.01
108	0.20
योग : 1.34	

निजी एवं शासकीय भूमि का कुल रकबा : 8.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—प्रभावित डुंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 3922-भू-अर्जन-2013 प्र. क्र. 35-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—आलोट
(ग) ग्राम—गुराड़िया एवं नवेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—00.98 हेक्टर.

सर्वे नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
------------------	-----------------------

ग्राम-गुराड़िया

392/01	00.90
योग : 00.90	

ग्राम-नवेली

23	00.04
24	00.04
योग : 00.08	
महायोग : 00.98	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भण्डारिया तालाब के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य से प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. 3961-भू-अर्जन-2013 प्र. क्र. 35-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—आलोट
(ग) ग्राम—गुराड़िया एवं नवेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—00.98 हेक्टर.

सर्वे नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
ग्राम-गुराड़िया	
392/01	00.90
योग : <u>00.90</u>	
ग्राम-नवेली	
23	00.04
24	00.04
योग : <u>00.08</u>	
महायोग : <u>00.98</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—आलोट नल जल आवर्धन योजनान्तर्गत एनीकट इन्टेकवेल तथा विद्युत ग्रीड निर्माण के लिये निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 19 अगस्त 2013

क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—ईसागढ़
(ग) ग्राम—विजयपुरा
(घ) क्षेत्रफल—0.156 हेक्टेयर

सर्वे नं. (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
464/1	0.156
योग : <u>0.156</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पचलाना बांध की निर्माण हेतु स्थाई अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2013

प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—मैरोन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—34.143 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

19

0.081

300/1

0.500

21

0.318

300/2

0.205

23

0.401

300/9

0.809

26

0.093

300/10

0.809

27

0.542

300/11

0.500

29/2

0.202

300/12

0.650

29/3

0.285

300/13

0.405

29/4

0.471

300/14

0.500

32/1

1.286

302

0.825

32/2

0.322

305

1.007

33

0.563

306

0.591

37/2

0.274

307

0.209

37/3

0.129

308

0.305

43

0.696

309

0.534

44

0.180

310

0.344

54

0.016

311

0.469

222

0.024

312

0.656

223

0.186

313

0.813

224

0.142

314

0.500

225

0.024

315

0.065

227

0.016

316

1.064

228

0.016

317

0.409

237

0.008

318

0.024

250

0.069

319

0.388

251

0.028

322

1.501

254

0.061

238

0.024

259

0.049

239

0.498

260

0.178

245

0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
246	0.295	1075	0.467
248	0.433	1076	0.194
249	0.332	1077	0.700
300/3	0.500	1079	0.421
300/4	0.500	1080	0.113
300/5	0.500	1081	0.251
300/6	0.500	1082	0.142
300/7	0.500	1085	0.020
300/8	0.500	1087	0.480
कुल योग : 34.143		1090/1	0.270
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.		1096	0.105
		1097	0.272
		1099	0.073
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.		1100	0.158
		1102	0.053
		1103	0.166
		1225	0.194
		1226	0.138
		1227/1	0.036
प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		1228/1	0.178
		1228/2	1.275
		1229	0.486
		1230/1633	2.201
		1233/1634	0.012
		1233/1635	0.036
		1235	0.028
		1236	1.303
		1238	1.598
		1239	0.995
(1) भूमि का वर्णन—		1240	0.198
(क) जिला—टीकमगढ़		1241	0.397
(ख) तहसील—टीकमगढ़		1242	0.870
(ग) नगर/ग्राम—मौखरा		1245	0.466
(घ) लगभग क्षेत्रफल—88.498 हेक्टेयर		1246	0.380
खसरा नंबर	अर्जित रकबा	1247	0.898
	(हे. में)	1248	0.397
(1)	(2)	1249	0.348
1060	0.125	1250	1.028
1065	0.061	1251	0.190
1066	0.097	1252	0.445
1067/1	0.223	1270	0.704
1067/2	0.081	272	1.659
1071	0.543	1273	1.327
1073	0.910	1275	1.096
1073/1573	1.007		

(1)	(2)	(1)	(2)
1276/1	3.656	1261/1637	0.805
1276/2	1.633	1261/1638	2.765
1276/3	2.023	1262	1.802
1280/1	0.478	1266/3	0.410
1281	0.668	1266/5	0.224
1283	0.773	1266/6	0.318
1284	1.339	1267/1	0.124
1285	5.301	1267/2	0.270
1287	0.291	1299	0.166
1288	0.591	1300	0.301
1289	0.587	1303	0.032
1290	0.085	1305	0.030
1291	3.890	1306	0.380
1292	0.085	1307/1/1	0.640
1293	4.156	1307/1/3	0.053
1294	0.599	1307/2/1	1.000
1295	0.753	1307/2/2	1.000
1296	1.088	1307/4	0.520
1297	1.987	1307/5/2	0.630
1298	1.976	1307/7	0.760
1104	0.502	1327/1	0.137
1105	0.117	1328	0.101
1106	0.041		
1107/2	1.296		योग : 88.498
1210/1	0.202	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु,	
1210/2	0.506	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
1214	1.088		
1215	0.462		
1216	1.234		
1218	0.016		
1219	0.162		
1220/1	0.506		
1220/2	1.036		
1220/3	0.870		
1222	1.315		
1224	0.140		
1253	0.445		
1254	1.210		
1255	0.849		
1256	0.821		
1257	0.134		
1258	0.077		
1261/1	0.012		
1261/2	5.410		

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(1)	(2)	(1)	(2)
(ग) नगर/ग्राम—मगरा		39	0.206
(घ) लगभग क्षेत्रफल—130.170 हेक्टेयर		40	0.490
खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	42	0.194
(1)	(2)	43	0.324
4	0.454	44	0.773
5	0.692	45	0.158
6/1	1.157	46	0.356
6/2	0.421	47	0.267
7/1	0.951	48/1	0.084
7/2	1.639	48/2	0.083
8/1	0.050	48/3/1	0.142
8/2	0.241	48/3/2	0.125
9	1.161	49/1	0.271
10	0.490	49/2	0.415
11	0.332	49/3	0.264
12	0.405	50/1	0.676
13	0.271	50/2	0.335
14	0.340	51/1	0.028
15	0.356	51/2	0.182
16	0.474	52	0.182
17	0.154	53	0.328
18	0.028	55	0.036
19	0.057	57	0.372
20	0.081	58/1	0.193
21	1.084	58/2	0.240
22/1	0.484	59/1	0.344
22/2	0.348	59/2	0.101
24	0.648	60	0.142
25	0.539	61/1	0.378
26/1	0.032	61/2	0.035
26/2	0.234	62	0.020
27	0.530	63	0.324
29/1	0.804	64	0.182
29/2	1.046	65	0.283
31/1	0.523	66	0.223
31/2	0.335	67	0.271
33	0.259	68/1	0.239
34	0.571	68/2	0.704
36/1	0.404	69	1.169
36/2	0.398	71	0.709
37	0.401	72	0.587
38	0.563	73	0.231
		74	0.251
		75	0.943

(1)	(2)	(1)	(2)
78	0.514	127	0.632
79	0.186	128	0.279
83	0.174	129	0.798
84	0.020	130	0.425
85	0.121	131	0.498
86	0.101	133	0.267
87	0.372	134	0.789
88	0.178	135	0.287
89	0.146	136	0.926
90	0.182	137	0.401
91	0.202	138	0.466
92	0.227	139	0.466
93	0.202	140	1.343
94	0.555	141	0.890
95	0.206	142	0.380
96	0.514	143	0.388
97	0.494	144	0.486
98	0.158	145	0.454
99	1.088	146	0.632
100	0.146	147	0.421
101	0.312	148	0.437
102	0.368	149	1.227
103	0.194	151	0.115
104	0.182	154	0.116
105	0.170	155	0.332
106	0.150	156	0.061
107	0.138	158	0.543
108	0.125	159	0.105
109	0.101	160	0.619
110	0.190	161	0.109
111	0.077	162	0.093
112	0.206	163	0.299
113	0.263	164/1	0.999
114	0.247	164/2	0.235
115	0.352	165	0.433
116	0.045	166	0.158
117	0.802	167/1	0.083
118	0.077	167/2	0.067
120	0.053	168	0.028
121	0.397	169	0.793
122	0.206	170	0.125
123	0.696	171	0.162
125	0.425	172	0.692
126	2.424	173	0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
174	0.121	308	1.423
175	0.619	313	0.202
176	0.109	314	0.413
177	0.785	316	0.283
178	0.024	320	0.632
179	0.113	327	0.745
180	0.110	329/1	0.842
187	0.805	329/2	1.137
228	0.020	340/2	0.105
232	0.018	342	0.142
233	0.150	349/1	0.470
234	0.245	349/2	0.572
235	0.060	350	0.057
240	0.202	351	0.194
242	0.380	352	0.348
244	0.543	356	0.021
246	0.757	357	0.086
247	0.053	358	0.016
248	0.668	359	0.500
249	0.365	374	0.245
250	0.466	386	0.090
251	0.543	387	0.199
253	1.765	393	0.165
258	0.097	395	0.550
260	0.308	452	0.020
262	0.243	465	0.780
263	0.089	466	1.060
264	0.129	468	0.967
265	1.206	469/1	0.878
266	0.085	469/2	0.680
267	0.077	473	0.795
268	0.049	477	0.704
269	0.182	478	0.080
270	0.563	548	0.140
272	0.065	549/738	0.170
273	0.312	549/739	0.180
274	0.053	550	0.125
276	0.575	551	0.279
278	0.251	552	0.225
280	0.320	554	0.076
281	0.563	557	0.150
282	0.741	560	0.230
284	1.028	567/1	0.985
288	0.200	596	0.304
305	0.636	597	0.959
		600/1	0.260

(1)	(2)	(1)	(2)
600/2	0.260	680	0.243
601	0.069	681	1.108
603	0.138	698	1.180
604	0.493	699	0.045
605	0.526	700	0.040
608	0.289	701	0.454
619/1	0.660	702	0.219
621	0.474	703	0.417
622	0.012	704	0.202
623	0.356	705	0.393
641/1	0.076	706	0.202
641/2	0.810	707	0.206
642	0.263	708	0.142
643	0.243	709	0.259
644	0.291	710	0.433
646/1	0.946	711	0.514
646/2	0.782	712	0.405
647	0.061	713	0.190
649	0.077	714	0.210
650/1	0.164	715	0.206
650/2	0.960	716	0.214
650/3	0.655	717	0.263
651	0.214	718	0.069
656	0.862	719	0.049
657	0.069	720	0.061
658	1.197	721	0.583
659	0.097	722	0.324
660	0.231	723	0.085
664	0.390	724	0.332
666	1.162	725	0.125
667	0.219	726	0.833
669/1	0.369	727	0.036
669/2	0.368	728	0.344
670	0.045	729	0.166
671	0.567	730	0.417
672	0.049	731	0.097
673	0.040	732	0.105
675/1	0.102		
675/2	0.030		
675/3	0.353		
676/1	0.706		
676/2	0.353		
676/3	0.353		
678	0.040		
679	0.478		
			योग : 130.170

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2012-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम—सूड़ा धरमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—43.238 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

1024	0.170	1374/1	0.750
1025	0.085	1374/1/2	1.080
1026	0.125	1374/2	1.245
1027	0.085	1374/4	2.023
1038/1	0.046	1374/5	2.023
1038/2	0.045	1374/क	1.141
1041/1	0.147	1374/ख	1.080
1041/2	0.148	1376	0.356
1043	0.097	1378	0.356
1044	0.101	1379	1.995
1045	0.194	1381	0.514
1046	0.587	1382	0.534
1047	0.089	1384/1	0.347
1048	0.088	1458	0.210
1049	0.125	1458/1/क	1.108
1049/1485	0.089	1458/2	0.134
1050	0.069	1458/3	0.267
1053	0.974	1081	0.073
1054	0.069	1082	0.198
1055	0.028	1088	1.193
1056	0.032	1089	0.898
1057	0.073	1096/1	1.348
1066	0.081	1098	1.854
1074	0.210	1106	1.343
1075	0.097	1140	0.380
1076	0.109	1295	1.202
1077	0.069	1295/1496	0.113
1078	0.085	1460	0.943
		1461/1	0.400

(1)	(2)
1461/2	0.403
1463/1	0.100
1464/1	1.619
1468	0.644
1469	0.486
1424/2	0.580
1424/3	0.400
1425/1	0.260
1426/1	2.023
1426/2	0.291
1427	0.603
1428	0.624
1049/1485	0.089
योग : 43.238	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

टीकमगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2013

प्र. क्र. 8-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—टीकमगढ़
(ग) नगर/ग्राम—दरगुवाँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.582 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
458/1	0.096
458/2	0.232
458/3	0.076

(1)	(2)
460	0.081
465	0.016
466	0.081
योग : 0.582	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खांडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 20 अगस्त 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—लटेरी
(ग) ग्राम—जालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.322 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
77	1.764
59/1/1/8	0.076
59/2	0.239
59/1/1/9	0.243
योग : 2.322	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है.—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, लटेरी एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—लोधाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.357 हेक्टर.

सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
139	0.010	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
140/2	0.100	अशोक सागर संभाग
140/1	0.040	क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).
145	0.032	
144	0.060	
143	0.050	
146/1	0.025	
146/2	0.040	
	<u>योग. . 0.357</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 12.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—खामखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.785 हेक्टर.

सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
606/1	0.194	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
549/1	0.075	अशोक सागर संभाग
550	0.065	क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).
555	0.146	
554	0.120	
556/1	0.080	
511/2	0.068	
509/1		
509/2	0.070	
509/3/1		
502/1	0.065	
502/2	0.095	
504/802	0.090	
501/1	0.082	
460/1	0.170	
462	0.128	
466		
375/1/1		
375/1/2	0.318	
375/2		
375/3		
376/1	0.117	
376/2		
384/4/1/1क	0.026	
381/6/2	0.068	
385	0.005	
386	0.039	
409	0.152	
411/1	0.020	
411/2		
415/1/1	0.020	

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—दल्लाखेड़ी (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.734 हेक्टर.	
421/1	0.110	सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी
421/2				
424/1	0.120	(1)	(2)	(3)
428	0.055	102/1/2	0.172	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
431/1	0.055	102/1/1/	0.015	अशोक सागर संभाग
199/1/1	0.045	102/2/1	0.149	क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).
199/2/1	0.120	102/2/2		
204/1	0.170	101/1	0.110	
204/2/1	0.162	101/2		
204/2/2		100/2	0.081	
206/1	0.005	100/1	0.136	
206/2	0.071	86	0.071	
207	0.123		योग. . 0.734	
212/1	0.032			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 7.
212/2/2	0.107			(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
190/1/1	0.018			प्र. क्र. 06-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
190/2	0.122			अनुसूची
197/3				(1) भूमि का वर्णन—
199/5	0.225			(क) जिला—विदिशा
200				(ख) तहसील—विदिशा
197/2	0.032			(ग) ग्राम—सलाईखेड़ी
योग. . 3.785				(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.026 हेक्टर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरो सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 8,9,10,1,12.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—विदिशा

सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
258	0.032	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
259/2	0.272	अशोक सागर संभाग
259/1	0.182	क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).
264/3	0.075	
265/1	0.075	
265/2		
328/1	0.165	
330	0.125	
332	0.100	
योग. . 1.026		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरों सिंचाई योजना के अन्तर्गत टेल माइनर.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—सगोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.798 हेक्टर.

सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
10/1	0.017	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
9/1	0.025	अशोक सागर संभाग
11	0.260	क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).
26	0.055	
27	0.055	
47	0.100	
29/1	0.084	
29/2	0.122	
48/2	0.080	
योग. . 0.798		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरों सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 5.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा

(ग) ग्राम—खजूरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.440 हेक्टर.

सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
174	0.110	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
168	0.126	अशोक सागर संभाग
172	0.178	क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).
173	0.026	
योग. . 0.440		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरों सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 6.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—बल्लाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.568 हेक्टर.

सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
38	0.010	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
39/2	0.123	अशोक सागर संभाग
39/1	0.010	क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).
41/2	0.068	
41/1	0.081	
30/1	0.227	
30/2	0.049	
योग. . 0.568		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरों सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 6.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—बरोँ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.462 हेक्टर.

सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
606/2	0.100	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
608/2	0.010	अशोक सागर संभाग
606/2	0.178	क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).
609	0.039	
585	0.035	
583/2	0.100	
	योग. . 0.462	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरोँ सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 7, आर.एस.एम.1/ आर.एम. 7.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा

- (ग) ग्राम—बालाबरखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.795 हेक्टर.

सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
92/1/2	0.080	कार्यपालन यंत्री, सम्राट
92/1/1	0.080	अशोक सागर संभाग
92/2	0.126	क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).
90	0.180	
88/1	0.072	
88/2	0.090	
47/1	0.009	
47/2	0.189	
20/3/1/2	0.100	
235/3/1	0.158	
235/6		
235/4/1	0.060	
235/4/2		
235/5	0.046	
237	0.090	
238	0.115	
239/1	0.400	
239/2		
239/3		
239/4		
	योग. . 1.795	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरोँ सिंचाई योजना के अन्तर्गत आर.एम. 1,3,4.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा

सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	(1)	(2)
(ग) ग्राम—पिपलिया अजीत				
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टर.			45	0.084
सर्वे नंबर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	47	0.449
(1)	(2)	(3)	51	0.031
			52	0.084
231/1	0.50	कार्यपालन यंत्री, सम्राट	54	0.073
231/2		अशोक सागर संभाग	56	0.125
		क्र. 2, विदिशा (म.प्र.).	53	0.052
	योग. 0.50		55/1	0.073
			55/2	0.018
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बर्ी नहर के निर्माण हेतु.			55/3	0.018
			55/4	0.018
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.			55/5	0.019
			60/1	0.112
			122	0.021
			123	0.315
प्र. क्र. 7-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—			128	0.010
			129	0.659
			131	1.526
			135/1	0.550
			135/2	2.268
			99/2	0.232
			137	0.157
			138	0.073
			119	0.011
(1) भूमि का वर्णन—			139/2	0.261
(क) जिला—विदिशा			139/1	0.209
(ख) तहसील—शमशाबाद			140	0.136
(ग) ग्राम—अगरा जागीर			142/1	0.104
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.158 हेक्टर.			142/2	0.105
खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)		102	0.115
(1)	(2)		108	0.330
10/2/1क	0.252		114/2	0.209
133/2	1.000		115	0.293
134/1	0.500		118	0.063
10/2/2क	0.836		227/2	0.813
10/2/3क	0.836		227/3	0.500
10/3	1.296		227/4	0.500
10/4	0.836			
10/1	0.118			
16	0.282			
17	2.380			
18	0.863			
141	0.209			
20	1.045			
29/1	0.392			
29/2	0.392			
103	0.188			
27	0.117			
				योग : 22.158
			(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
			(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में किया जा सकता है.
				मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		(1)	(2)
शिवपुरी, दिनांक 20 अगस्त 2013		421/1	0.24
		421/2	0.23
		421/3	0.23
क्र. क्यू-भू-अर्जन-2013-264.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		424	0.32
		425	0.22
		430	0.50
		431	0.08
		432	0.38
		436	0.04
अनुसूची		516/2	0.45
		516/3	0.95
(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि		516/4	1.00
(क) जिला—शिवपुरी		516/5	0.70
(ख) तहसील—पोहरी		516/7	0.60
(ग) नगर ग्राम—सापरवाड़ा		516/8	0.60
(घ) लगभग क्षेत्रफल—25.47 हेक्टर.		517/7	0.07
		517/8	0.30
सर्वे	अर्जित रकबा	517/9	0.60
नम्बर	(हेक्टर में)	517/10	0.01
(1)	(2)	517/11	0.60
296	0.02	517/12	0.20
299	0.03	517/13	1.00
300	0.08	517/14	0.50
301	0.07	517/15	0.15
302	0.06	517/16	0.60
303	0.06	518	0.54
305/1	0.01	520	0.31
305/2	0.01	521	0.03
306	0.16	522	0.28
307	0.52	523	0.27
309	0.10	524	0.19
310	0.13	525	0.13
311/1	0.02	526	0.14
318	0.06	529	0.11
319	0.06	531	0.09
320	0.07	532	0.19
321	0.06	533	0.39
322	0.05	534	0.76
323	0.11	535	0.17
324	0.05	536	0.09
325	0.08	537	0.16
326	0.03	538	0.28
419	0.04	539	0.19

(1)	(2)	(1)	(2)
540	0.25	477	0.04
541	0.89	478	0.02
542	0.42	480	0.07
544	0.61	484	0.19
545	0.16	485	0.08
547	0.61	486	0.01
548	0.61	487	0.10
549	0.12	488	0.14
550	1.68	490	0.10
551	0.30	491	0.46
552	0.88	492	0.17
553	0.54	493	0.33
555	0.33	583	0.01
557	0.28	584	0.70
558	0.52	586/2	0.10
560	0.50	597	0.74
योग . . . 25.47		598	0.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.		619	0.41
		620	0.14
		621	0.05
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		622	0.17
		623	0.04
		625	0.04
		626/1	0.11
क्र. क्यू-भू-अर्जन-2013-270.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		626/2	0.08
		628	0.04
		629	0.03
		645	0.08
		646	0.08
		647	0.02
		649	0.09
		651	0.20
(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि		653	0.05
(क) जिला—शिवपुरी		654	0.03
(ख) तहसील—पोहरी		659	0.01
(ग) नगर ग्राम—देवरीकलां		660	0.07
(घ) लगभग क्षेत्रफल—54.67 हेक्टर.		661	0.07
		662	0.19
सर्वे	अर्जित रकबा	663	0.05
नम्बर	(हेक्टर में)	665	1.05
(1)	(2)	667	0.44
461	0.01	668	0.03
474	0.03	672	0.10
476	0.04	676/1	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
676/2	0.03	791	0.70
677/1	0.07	792	0.28
677/2	0.07	793	1.44
684	0.05	794	0.97
685	0.30	796	0.22
686	0.15	797	0.31
688	0.11	798	0.61
689	0.33	799	0.68
690	0.13	800	0.48
691/1	0.05	801	0.45
691/2	0.10	802	0.33
693	0.03	803	0.10
732	0.06	806	0.39
733	0.27	807	0.47
735	0.50	808	0.63
749/952	0.21	809/954/1	0.80
749/953	0.55	809/954/2	0.80
750	0.28	809/954/3	0.01
751	1.31	809/956/1	0.24
752	0.80	809/956/2	0.22
753	1.70	809/956/3	0.60
754	1.42	809/956/4	0.33
755	0.30	809/1क	1.00
756	0.57	809/957	0.22
757	1.28	809/958	0.21
758	0.38	809/9	1.20
764/944	0.01	809/10	0.55
766	0.86	809/12	0.03
767	0.37	809/13ख	0.06
768	0.65	809/13ग	0.01
770	0.10	809/13घ	0.16
771	0.02	809/14	1.00
774	0.47	809/15	1.50
779	0.73	809/16	0.05
780	0.95	809/20	0.04
782/1	0.63	809/21	0.75
782/2	0.06	809/22	0.80
783	0.28	809/23	0.79
785	0.18	809/24	0.86
786	0.68	810	0.38
788	0.54	811	0.34
789	1.30	813	0.25
790/1	1.14	815	0.16
790/2	0.30	816	0.15

(1)	(2)	(ग) नगर ग्राम—मडरका	
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.73 हेक्टर.	
		सर्वे	अर्जित रकबा
		नम्बर	(हेक्टर में)
		(1)	(2)
818	0.40	3	1.44
819	1.43	4	0.65
820	0.09	5	0.01
821	0.09	6	0.02
822	0.20	7	0.01
823	0.43	12	0.02
825	0.33	15	0.03
828	0.50	21	0.01
831	0.63	22	0.01
832	0.21	23	0.02
833	0.04	31	0.01
834	0.10	32/1	0.01
835	0.03	32/2	0.01
836	0.03	33	0.23
838	0.27	35/1	0.04
839	0.05	35/2	0.02
840	0.09	35/3	0.03
841	0.07	35/4	0.03
842	0.09	47	0.01
843	0.01	48	0.03
846	0.08	49/1क	0.04
848	0.23	49/1ख	0.08
854	0.16	49/2	0.20
856	0.09	52/1	0.16
योग . .	<u>54.67</u>	52/2	0.16
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.		53	0.21
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		54	0.09
		55/1	0.20
		68	0.02
क्र. क्यू-भू-अर्जन-2013-277.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		69/1क	0.16
		69/1ख	0.15
		69/2	0.31
		71	0.16
		72	0.41
		73	0.16
		74	0.20
		75	0.09
(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि		77/1	0.01
(क) जिला—शिवपुरी		93	0.02
(ख) तहसील—पोहरी		94	0.40

(1)	(2)	(1)	(2)
95	0.60	114	1.308
97/1	0.03	116/2	0.344
97/2	0.05	116/1	0.652
102/1	0.18	118	0.522
योग . .	<u>6.73</u>	294/1	0.121
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.		154/1क	1.214
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		162/1	0.061
		337/1	0.367
		299/2	0.008
		154/1ख	0.413
		155/1च	0.566
		156	0.045
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		155/1झ	0.971
		294/2	0.040
		153/2	0.202
		152	0.311
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		155/1क	0.607
		299/4	0.007
		298/1	0.022
छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 अगस्त 2013		155/1ख	0.859
		155/1ग	0.607
		297/2	0.008
क्र. 7905-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		157/1	0.328
		158/1	0.205
		296/2	0.052
		157/2	0.542
		157/3, 158/3	0.538
		158/2	0.162
		169/1ग	0.146
		200/3, 200/5	0.306
अनुसूची		200/8	0.198
(1) भूमि का वर्णन—		204/1	0.121
(क) जिला—छिन्दवाड़ा		206/3	0.113
(ख) तहसील—चौरई		210/2	0.340
(ग) नगर/ग्राम—मडुवाढाना, प.ह.नं. 02, ब.नं. 222, रा.नि.मंडल—चौरई		158/4	0.534
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—63.617 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.		159/7	0.142
		159/1	0.138
		159/4	0.141
		159/2	0.121
प्रस्तावित	प्रस्तावित रकबा	159/3	0.235
खसरा नम्बर	(हे. में)	159/5	0.040
(1)	(2)	159/6	0.137
112, 113/1	0.650	160/1	0.016
113/2	0.627	161/3	0.080

(1)	(2)	(1)	(2)
161/5	0.292	206/2	0.263
161/1	0.316	307	0.012
160/2	0.020	393/5	0.141
161/2	0.441	207/1	0.433
161/4	0.457	207/2	0.429
169/1ख	0.162	209/2	0.481
200/2	0.030	311/4	0.061
311/1	0.038	265	0.061
169/1क	0.619	324/1, 325/1	0.415
169/2क	0.291	363/1, 264/1,	2.696
169/1घ	0.008	266/1, 267/1,	
169/1ख	0.265	269/1	
201/2ग	0.061	263/3	0.081
199	0.020	267/2	0.761
297/1	0.004	369/3	0.263
200/6	0.194	271/1ड	1.416
200/7	0.065	263/4, 264/3,	0.539
201/2ड	0.061	266/7, 267/7,	
306	0.020	269/3	
169/1ड	0.130	324/2, 325/4	0.083
169/2ग	0.032	263/5, 264/4,	0.539
200/9	0.031	266/8, 267/4,	
311/5	0.029	269/4	
200/4	0.354	324/3, 325/5	0.083
170/2, 195,	0.100	263/6, 264/5,	0.539
198/2, 201/2ख		266/9, 267/5,	
202/1	0.210	269/5	
202/3	0.514	324/4, 325/6	0.083
290	0.065	263/7, 264/6,	0.539
392/12, 392/13	0.348	266/10, 267/6,	
392/14, 392/15	0.117	269/6	
202/2	0.656	324/5, 325/7	0.083
289/1	0.056	263/8, 264/7,	
202/4	0.749	266/11, 267/7,	0.540
206/1	0.866	269/7	
289/2	0.057	324/6, 325/8	0.083
392/3, 392/5	0.198	266/2	0.470
392/6, 393/1	0.136	266/3	0.202
204/2, 205/1	0.251	384/7	0.116
393/6	0.091	386/1	0.041
204/3, 205/2	0.417	389/1ग	0.219
		266/4	0.688
		266/5	0.324
		388/2	0.203

(1)	(2)	(1)	(2)
384/2	0.106	300/1	0.109
266/6	0.340	312/1	0.016
387	0.180	312/3	0.012
384/7	0.100	312/4	0.016
388/4	0.197	301	0.069
268	0.409	302	0.061
270	0.428	314/2	0.049
319/7	0.393	303/1, 304/1, 391/1	0.159
321/1छ	0.182	384/1	0.400
321/5	0.314	365/3, 366/4	0.040
321/6	0.012	389/2छ, 389/3, 390/1	1.294
271/1ख, 271/1घ,	0.784	303/3, 304/2, 391/3	0.081
271/1च		388/3	0.509
271/1ड	0.057	391/2	0.121
271/1झ	0.061	392/1	0.142
271/1छ	0.288	308	0.008
271/1ज	0.947	318/1	0.426
271/1ट	0.202	319/2	0.227
273	0.004	321/1क	0.628
274	0.255	321/1ग	0.364
275	0.275	335/1	0.938
276	0.134	311/3	0.057
277/2	0.145	319/6	0.097
271/1ठ	1.170	312/2	0.045
271/1द	0.332	318/2, 319/4	1.052
272	0.372	318/4	0.086
277/1, 278/1	0.620	319/5	0.202
313/1	0.117	313/2	0.012
277/3, 278/2	0.105	314/1	0.048
291/1, 291/2, 292/1	0.068	386/2	0.041
281/2घ	0.061	389/1घ	0.651
291/3, 292/3	0.044	388/1	0.040
292/2	0.020	281/2ख	0.061
293	0.085	316/1	0.283
296/1	0.049	316/2	0.316
392/9	0.121	316/3	0.332
392/10	0.024	316/4	0.093
297/3	0.028	317	0.178
298/2	0.035	319/1	0.392
299/3	0.105	335/3	0.267
300/2	0.048	335/4	0.218
392/2	0.121	318/5	0.333
392/8	0.121	355, 356	0.170
299/1	0.014	318/3	0.080

(1)	(2)
319/3	0.271
320/3	0.426
321/1ड	0.262
322/3	0.375
320/1	0.405
321/3	0.280
320/2	0.004
321/1च	0.182
321/2	0.314
321/4	0.012
322/1	0.405
321/1ख	0.518
321/1घ	0.061
336/1	0.410
325/2, 325/3,	0.180
326/1, 326/2,	
327/1	
384/5	0.193
359/4	0.405
384/4	0.200
392/4	0.365
303/2	0.020
392/11	0.101
393/2	0.049
311/2	0.057
394/3	0.101
404/1	0.450
404/3	0.450
200/10	0.100

305 शासन मद आबादी में बने कच्चे मकान

योग . . . 63.617

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आ रही निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक 2, सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 1971-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—उकठी उर्फ हरिहरपुर 46
(घ) क्षेत्रफल—0.063 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
516	0.025
योग . . .	<u>0.025</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्यौंटी माइनर नहर की बोदा वितरक नहर की टिकुरी माइनर की सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(3)
599	0.174	0.022
598	0.582	0.020

योग . . . 1.417

रीवा, दिनांक 24 अगस्त 2013

क्र. 1996-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—शिवपुरवा 603
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.417 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
622/1	0.311	0.028
622/2	0.308	
621	0.069	0.020
619	0.963	0.170
607	1.688	0.090
606	0.344	0.344
548	0.138	0.035
549	0.340	0.028
602	0.409	0.100
600	0.032	0.010
595	0.417	0.160
561	0.166	0.042
560/1	0.158	0.044
560/2	0.121	
1117/547	0.158	0.012
515	1.040	0.100
562	0.036	0.016
563	0.202	0.040
594	0.752	0.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की शिवपुरवा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2002-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—सेमरी जागीर
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.757 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
216	0.081
307	0.032
317	0.072
323	0.030
324	0.096
325	0.012
329	0.032
331	0.060
400	0.084
401	0.024
402	0.012
450	0.236

(1)	(2)	(1)	(2)
461	0.012	432	0.008
463	0.072	433	0.218
483	0.100	434	0.030
484	0.048	435	0.084
488	0.200	436	0.156
489	0.120	437	0.040
490	0.264	443	0.102
494	0.172	475	0.032
495	0.024	476	0.064
520	0.412	477	0.040
529	0.118	478	0.212
534	0.136	479	0.014
537	0.176		योग . . . 1.212
538	0.132		
	योग . . . 2.757		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2004-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर / ग्राम—डढ़िया
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.212 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
431	0.212

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2006-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम—हरदुआ कोठार
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
583	0.016
584	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
585	0.012	1178	0.024
603	0.012	1179	0.064
604	0.144	1180	0.068
605	0.080	1675	0.024
615	0.072	1676	0.002
616	0.078	1677	0.120
617	0.044	1678	0.006
618	0.016	1696	0.068
638	0.068	1697	0.156
639	0.048	1698	0.016
648	0.020	1700	0.016
649	0.024	1701	0.168
650	0.100	1703	0.006
663	0.028	1711	0.072
664	0.120	1712	0.096
667	0.058	1713	0.016
669	0.052	1718	0.032
827	0.012	1722	0.008
853	0.020	2123	0.132
854	0.080		योग . . . 4.136
855	0.004		
857	0.190	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब-माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
858	0.168	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.
859	0.004		
895	0.284		
901	0.120		
902	0.016		
904	0.008		
1136	0.008		
1137	0.100		
1138	0.088		
1139	0.080		
1140	0.016		
1155	0.160		
1156	0.140		
1157	0.024		
1159	0.092		
1171	0.184		
1172	0.076		
1175	0.100		
1176	0.052		

क्र. 2008-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ ग्राम—चितगढ़	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.426 हेक्टेयर	548	0.200
खसरा नम्बर	549	0.008
	रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
380	0.044	554
385	0.086	555
440	0.013	561
465	0.036	586
483	0.048	587
487	0.034	599
489	0.094	605
490	0.008	606
511	0.063	607
योग . . .	0.426	608
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	609	0.124
	610	0.016
	614	0.224
	615	0.058
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.	616	0.028
	653	0.096
	654	0.088
	655	0.016
	656	0.478
क्र. 2010-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	657	0.036
	658	0.008
	789	0.024
	790	0.240
	791	0.008
	792	0.012
	793	0.278
	796	0.004
	797	0.046
	798	0.270
	799	0.096
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.618 हेक्टेयर	830	0.087
खसरा नम्बर	831	0.238
	रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
540	0.124	832
		833
		834
		0.078
		0.032
		0.200

(1)	(2)
854	0.088
855	0.067
856	0.218
कुल योग . .	<u>4.618</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/ सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2012-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ ग्राम—बिहरा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.328 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1916	0.029
2129	0.176
2134	0.123
योग . .	<u>0.328</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की केमली माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2014-भू-अर्जन-कार्य-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—अमिरिती
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.74 हेक्टेयर

सिहावल वितरक क्रमांक 2, हिनौती माइनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
1188/1	
1188/2	0.02
1188/3	
1189	0.01
1190	0.01
1191	0.02
1192	0.02
1193	0.01
1195	0.03
1196	0.02
1199	0.01
1200	0.01
1203	0.02
1217	0.01
1220	0.02
1222	0.01
1206	0.05
1207	0.04
1210/1, 1210/2	0.06
1211	0.03
1223/1, 1223/2	0.04
1243	0.01
1246	0.01

(1)	(2)	(1)	(2)
1247	0.01	931	0.06
1242	0.03	1107	0.01
1233	0.14	1008	0.02
1234	0.01	1070	0.02
योग (अ) . .	<u>0.65</u>	1368	0.02
(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण		1007	0.02
1244	0.09	994	0.02
योग (ब) . .	<u>0.09</u>	992	0.02
महायोग (अ+ब) . .	<u>0.74</u>	1021	0.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		987	0.02
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		986	0.02
क्र. 2016-भू-अर्जन-कार्य-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		1062	0.03
		1068	0.02
		1082	0.05
		1081	0.02
		1080	0.05
		1079	0.01
		1094	0.01
		1078/1	0.01
		1077	0.02
		1356	0.01
		1109	0.01
		1426	0.01
		1357	0.01
		1358	0.01
		1423	0.01
		1421	0.02
		1369	0.01
		1371	0.01
		1377	0.03
		1379	0.02
		1373/1	
		1373/2	0.03
		1373/3	
		योग (अ) . .	<u>0.70</u>
(अ) निजी भूमि का विवरण		(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण	
936	0.02	1105	0.02
923	0.01	1108	0.02
924	0.01	1337	0.01
985	0.02	1376	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
1378	0.01	2269	0.026
1380	0.01	2270	0.006
1424	0.04	2271	0.006
योग (ब) . .	0.15	2272	0.006
महायोग (अ+ब) . .	0.85	2273	0.006
		2282	0.048
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		2457	0.013
		2443	0.013
		2440	0.002
		2279	0.005
		2280	0.022
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		2346/1मि	0.004
		2442	0.016
		2467	0.005
		2456	0.020
		2444	0.010
		2400	0.023
		2437/1	0.032
		2438/1	0.015
		2436/1	0.002
		2630	0.051
		2641	0.004
		2638	0.062
		2639	0.032
		योग (अ) . .	0.535
		(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण	
		2602	0.010
		योग (ब) . .	0.010
		महायोग (अ+ब) . .	0.545
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमलिया माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		क्र. 2020-भू-अर्जन-कार्य-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	

क्र. 2018-भू-अर्जन-कार्य-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—अमलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.545 हेक्टेयर

सिहावल वितरक क्रमांक 2, की अमलिया माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
2484	0.008
2255	0.011
2478	0.020
2258	0.026
2257	0.013
2256	0.008
2479	0.020

(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण

2602	0.010
योग (ब) . .	0.010
महायोग (अ+ब) . .	0.545

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमलिया माइनर नं. 3 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2020-भू-अर्जन-कार्य-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—महुआर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.79 हेक्टेयर

सिहावल वितरक क्रमांक 2, हिनौती माइनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
949	0.06
948	0.06
940	0.03
911	0.07
943	0.03
934	0.01
906	0.02
932	0.03
944	0.03
946	0.03
939	0.08
935	0.01
936	0.01
931	0.04
912	0.01
909	0.06
907	0.02
899/1, 899/2	0.02
930	0.01
915	0.01
903	0.06
योग (अ) . .	<u>0.70</u>
(ब) मध्यप्रदेश शासन की भूमि का विवरण	
904	0.02
900	0.02
901	0.05
योग (ब) . .	<u>0.09</u>
महायोग(अ+ब) . .	<u>0.79</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की हिनौती माइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/ शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी रा. नि. मं. केवलारी
(ग) ग्राम—बिछुआ, माल, ब. नं. प.ह.नं. 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.61 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33/2	0.17
33/1	0.44
योग . .	<u>0.61</u>

अशासकीय भूमि

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी, रा. नि. मं. केवलारी
(ग) ग्राम—मैरा, ब. नं. 148, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.66 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
361/1	0.38
363/1	0.18
363/3	0.20
383/2	0.10
360	0.13
362	0.34
382	0.52
384	0.57
385	0.23
394/1	0.01
योग . .	2.66

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी, रा. नि. मं. केवलारी
(ग) ग्राम—बिछुआ रैयत, ब. नं. प.ह.नं. 37
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.86 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अशासकीय भूमि

76	0.34
74	0.20
89	0.14
88	0.01
96/3	0.16
96/2	0.01
योग . .	0.86

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी, रा. नि. मं. केवलारी
(ग) ग्राम—डोभ, ब. नं. 69, प.ह.नं. 40/30
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.40 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अशासकीय भूमि

431	0.05
432/1, 432/2	0.06
425/1	0.11
425/3	0.11
426/1	0.05
426/2	0.05
506	0.16
507/1, 507/2	0.44
513/1	0.33
513/2	0.04
योग . .	1.40

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—ग्वारी, प.ह.नं. 35
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.55 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
40	0.23
132	0.13
145	0.19
योग . . .	
	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी, रा. नि. मं. पलारी
(ग) ग्राम—कंडीपार, ब. नं. 25, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.50 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
114	0.46
118	0.04
योग . . .	
	0.50

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी, रा. नि. मं. केवलारी
(ग) ग्राम—मलोरी, ब. नं. प.ह.नं. 38
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.60 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
3	0.07
75	0.04
76	0.13
1/1, 1/2	0.33
12/1, 12/2	0.03
योग . . .	
	0.60

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—केवलारी, प.ह.नं. 38
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.99 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
255/1	0.13
255/2	0.20

(1)	(2)
255/3	0.11
255/4	0.55
योग . . .	
	0.99

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—केवलारी, रा. नि. मं. केवलारी
- (ग) ग्राम—बोधिया, ब. नं. 139, प.ह.नं. 29/39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.79 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
145/2	0.12
64	0.03
143	0.01
144	0.06
63/1	0.06
63/2	0.07
63/3	0.08
62/2	0.07
222	0.15
223	0.14
योग . . .	
	0.79

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5857-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—केवलारी, रा. नि. मं. केवलारी
- (ग) ग्राम—चोरापाठा, ब. नं., प.ह.नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.310 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
310	0.50
311	0.20
320/2	0.15
278/6	0.06
279/1	0.06
279/3	0.14
309	0.12
279/2	0.08
योग . . .	
	1.31

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय केवलारी (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 20 अगस्त 2013

क्र. 559-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(1)	(2)
17/2	0.155
361/3	0.515
	योग . . . 5.260

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—चिचली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.260 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
369	0.260
357/1	0.310
371	0.110
377/4	0.135
396/1	0.235
398/3	0.030
398/5	0.145
407	0.210
404/1	0.210
404/2	0.055
255/2	0.345
255/3	0.130
255/4	0.115
9/8	0.065
427/4	0.155
427/5	0.040
428/1	0.140
429	0.210
451	0.195
452/2	0.160
9/7	0.020
84/2	0.130
84/1	0.095
83/1	0.120
83/2	0.025
81/1	0.370
11/2	0.080
11/1	0.260
18	0.035
452/3	0.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जूनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 560-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—सत्राटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.742 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
59	0.100
60/6	0.140
60/5	0.170
60/4	0.050
69/1	0.130
69/6	0.090
69/3	0.110
69/4	0.110
69/5	0.110
70/1	0.230
56	0.060

(1)	(2)	अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-																																																																							
57/7	0.180	<p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—खरगोन</p> <p>(ख) तहसील—खरगोन</p> <p>(ग) ग्राम—बोरगांवखुर्द</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.930 हेक्टेयर.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>खसरा नंबर</th> <th>रकबा (हे. में)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>0.020</td></tr> <tr><td>11</td><td>0.170</td></tr> <tr><td>12/1</td><td>0.100</td></tr> <tr><td>12/2</td><td>0.050</td></tr> <tr><td>13</td><td>0.110</td></tr> <tr><td>19/1</td><td>0.220</td></tr> <tr><td>21/1</td><td>0.160</td></tr> <tr><td>21/2</td><td>0.120</td></tr> <tr><td>21/3</td><td>0.100</td></tr> <tr><td>26/2</td><td>0.200</td></tr> <tr><td>26/3/1</td><td>0.130</td></tr> <tr><td>26/3/2</td><td>0.240</td></tr> <tr><td>30</td><td>0.150</td></tr> <tr><td>31</td><td>0.090</td></tr> <tr><td>32/1</td><td>0.110</td></tr> <tr><td>32/4</td><td>0.040</td></tr> <tr><td>33</td><td>0.140</td></tr> <tr><td>33/254</td><td>0.010</td></tr> <tr><td>125/1</td><td>0.150</td></tr> <tr><td>125/2</td><td>0.150</td></tr> <tr><td>129</td><td>0.600</td></tr> <tr><td>131/1</td><td>0.550</td></tr> <tr><td>131/2</td><td>0.130</td></tr> <tr><td>132/1</td><td>0.150</td></tr> <tr><td>132/2</td><td>0.190</td></tr> <tr><td>132/3</td><td>0.050</td></tr> <tr><td>133/1</td><td>0.030</td></tr> <tr><td>133/2</td><td>0.100</td></tr> <tr><td>133/9</td><td>0.250</td></tr> <tr><td>135</td><td>0.200</td></tr> <tr><td>137/1</td><td>0.220</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">योग . . .</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">4.930</td> </tr> </tbody> </table>		खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	(1)	(2)	10	0.020	11	0.170	12/1	0.100	12/2	0.050	13	0.110	19/1	0.220	21/1	0.160	21/2	0.120	21/3	0.100	26/2	0.200	26/3/1	0.130	26/3/2	0.240	30	0.150	31	0.090	32/1	0.110	32/4	0.040	33	0.140	33/254	0.010	125/1	0.150	125/2	0.150	129	0.600	131/1	0.550	131/2	0.130	132/1	0.150	132/2	0.190	132/3	0.050	133/1	0.030	133/2	0.100	133/9	0.250	135	0.200	137/1	0.220	योग . . .		4.930	
खसरा नंबर	रकबा (हे. में)																																																																								
(1)	(2)																																																																								
10	0.020																																																																								
11	0.170																																																																								
12/1	0.100																																																																								
12/2	0.050																																																																								
13	0.110																																																																								
19/1	0.220																																																																								
21/1	0.160																																																																								
21/2	0.120																																																																								
21/3	0.100																																																																								
26/2	0.200																																																																								
26/3/1	0.130																																																																								
26/3/2	0.240																																																																								
30	0.150																																																																								
31	0.090																																																																								
32/1	0.110																																																																								
32/4	0.040																																																																								
33	0.140																																																																								
33/254	0.010																																																																								
125/1	0.150																																																																								
125/2	0.150																																																																								
129	0.600																																																																								
131/1	0.550																																																																								
131/2	0.130																																																																								
132/1	0.150																																																																								
132/2	0.190																																																																								
132/3	0.050																																																																								
133/1	0.030																																																																								
133/2	0.100																																																																								
133/9	0.250																																																																								
135	0.200																																																																								
137/1	0.220																																																																								
योग . . .		4.930																																																																							
57/3	0.090																																																																								
57/1	0.145																																																																								
18	0.392																																																																								
19	0.180																																																																								
20/1	0.080																																																																								
20/2	0.035																																																																								
21	0.095																																																																								
81	0.035																																																																								
232/3	0.015																																																																								
155/1	0.050																																																																								
155/2	0.070																																																																								
156	0.245																																																																								
160/1	0.220																																																																								
161/2	0.240																																																																								
162, 163	0.090																																																																								
164, 165	0.135																																																																								
166/1/2	0.185																																																																								
166/5	0.190																																																																								
167/1	0.060																																																																								
167/2	0.060																																																																								
167/3	0.060																																																																								
167/4	0.060																																																																								
167/5	0.060																																																																								
167/6	0.060																																																																								
168/1	0.410																																																																								
योग . . .		4.742																																																																							
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की जूनापानी वितरण शाखा एवं उपशाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.																																																																								
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.																																																																								
<p>क्र. 561-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के</p>																																																																									
योग . . .		4.930																																																																							

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य राईजिंग में 4 हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
- क्र. 562-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
 (ख) तहसील—खरगोन
 (ग) ग्राम—टेमला
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—11.429 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
357	0.060
358	0.041
359	0.020
360	0.120
361	0.040
362	0.040
363	0.190
369	0.010
370	0.030
371	0.070
373	0.040
374	0.020
378	0.210
380	0.140
381	0.100
391/1	0.090
391/2	0.070

(1)	(2)
392/2	0.060
393/1	0.030
393/2	0.090
395	0.140
545/2	0.090
958/1	0.425
958/2	0.250
959	0.170
961/1/1	0.336
961/1/2	0.222
961/2	0.361
961/3	0.181
961/4	0.271
961/5	0.271
962	3.000
966/1	0.102
966/2	0.526
966/3	0.263
966/7	0.040
968/1/1	0.210
968/1/2	0.230
969/1	0.150
969/2	0.190
973/1	0.050
973/2	0.180
974/1	0.210
974/2/1	0.030
979	0.460
981	0.080
983/1	0.080
983/2	0.090
986	0.130
991	0.040
993/2	0.100
994	0.210
996	0.090
997	0.040
998	0.300
1161	0.440
योग.	11.429

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी में-2, राईजिंग में-4 एवं पम्प हाउस-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. 566-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम—पिपल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.577 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1/2	0.020
2/1/3	0.050
2/1/4	0.113
3/1/3	0.020
2/1/5	0.109
3/1/1	0.688
2/3/1	
3/3/1	1.000
4/3/1	
2/3/2	
3/3/2	0.180
4/3/2	
6/1/2	0.440
8/2	0.200
8/3	0.730
8/4	0.821
9/2/4	0.052
75/1	1.910

(1)	(2)
75/2	0.060
78	0.040
86	0.400
87	0.320
88	0.720
89/1	0.494
3/1/2	0.350
2/2	
3/2	1.630
4/2	
5/2	0.520
7/2/2	0.250
90/4/1	
91/1/1	0.610
89/2	0.200
90/1	0.850
90/2/3	0.800
	योग. . 13.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 2 सितम्बर 2013

क्र. 1359-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13-भू-अर्जन-प्रकरण क्रमांक 1-अ-82-2012-13 में जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत उद्घोषणा क्रमांक 1108, दिनांक 31 जुलाई 2013 द्वारा दतूनी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब में डूब से प्रभावित ग्राम ठिकरिया की निजी भूमि 115.62 हे. का प्रकाशन किया गया था. किन्तु उक्त रकबे में सम्मिलित कुल 18 सर्वे नम्बरों का उद्घोषणा में प्रकाशन नहीं हो पाया है.

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—कन्नौद
(ग) ग्राम—ठिकरिया

सर्वे नंबर	डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53/1/, 106/1	0.59
53/2, 59/1, 106/2	1.05
55/1, 87/1/1, 95/1	1.57
55/2, 87/1/2, 95/2, 95/3	3.93
55/3, 87/2	0.82
56/2	1.57
59/1	0.06
59/3	0.07
60	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दतूनी मध्यम परियोजना के अन्तर्गत तालाब में डूब से प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. भू-अर्जन-2012-2938.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—नौरोजाबाद
(ग) ग्राम—कोहका
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.270 हेक्टेयर
(ङ) पटवारी हल्का नं.—16.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
151/3	0.006
238	0.045
239	0.050
242	0.010
243/2	0.300
243/3	0.150
244	0.040
249/2	0.015
250/3	0.080
251/1/क/1	0.216
251/1/ख/1	0.200
253/1	0.030
253/432/1/ख	0.288
255	0.840

योग . . . 2.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोहका जलाशय योजना, शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय जिलाध्यक्ष उमरिया (म. प्र.) एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उमरिया (म. प्र.) में किया जा सकता है।

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—गुढाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.998 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
372	0.180
368	0.280
369	0.072
894	0.088
371	0.020
366	0.130
367	0.020
1223	0.220
1222	0.140
1221/1	0.080
1210	0.115
1209	0.175
1207/2	0.215
1202	0.015
1203/1	0.110
1199/3/3	0.040
1199/3/1	0.058
1199/3/2	0.040
योग . .	1.998

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—शहपुरा (वीरान)
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—2.205 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
145	0.160
144	0.160
143	0.140
178 शा. नं. 179, 180	0.068
181	0.020
177	0.120
170	0.112
171	0.044
172	0.036
173	0.044
43/1	0.143
40/1	0.336
47 शा. नं. 48	0.005
49 शा. नं. 50	0.005
51	0.134
52	0.241
53	0.381
54	0.056
योग . .	2.205

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 16-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—चन्दला
- (ग) ग्राम—परसनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.113 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1113/2	0.142
1140/1	0.055
1140/3	0.336
1307/1164	0.240
1164	0.100
1163	0.240
योग . .	1.113

- (2) सिंहपुर बैराज परियोजनान्तर्गत मुख्य नहर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2013

क्र. एफ-3-189-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक एक सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-189-2011-बत्तीस, दिनांक 6 नवम्बर 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना, 2011 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण के पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कनेरादेव	196/6, 200/3, 203/2, 203/4, 204, 208/2, 208/3, 208/4, 208/5, 206, 200/1, 201, 203/1, 209/2, 209/3/ग, 209/1, 209/4, 209/8, 209/ख, 209/3/ण, 188/1, 196/5	11.783	निम्न घनत्व आवासीय.	आवासीय

योग . . 11.783

(1) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रुपये 3,56,43,575 (रुपये तीन करोड़ छप्पन लाख तैतालीस हजार पाँच सौ पचहत्तर रुपये मात्र) दिनांक 25 जुलाई 2013 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, गुजराती बाजार सागर के चालान क्रमांक-78 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है।

- (2) भूजल की गुणवत्ता की रिपोर्ट, सीवेज ट्रीटमेन्ट हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति विकास अनुज्ञा प्राप्त करते समय प्रस्तुत करना होगी।
- (3) स्टार्म वाटर ड्रेन बनानी होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2013

क्र. 191-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	चौरहा	1.551 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	नैया नाला योजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 192-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	पोखडौर	0.811 कृषक भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	गोबरदहा बांध, नहर योजना अन्तर्गत.

भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 196-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	चौहना नं. 3	0.360	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 197-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	धरमपुरा	1.991	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 198-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	चौहना नं. 1	0.358	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 199-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	खैरा नं. 3	0.168	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 200-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	बकिहा	0.879	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 201-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	टडहर	1.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 202-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	दुबिहा	0.920	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 203-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	चौहना नं. 4	0.336	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 204-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	बरया	0.841	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 205-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	खैरा नं. 1	0.907	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 206-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	चौहना नं. 2	0.477	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 207-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	पटेहरा	8.636	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 208-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	हर्दिहाई	4.152	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 209-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	पटेहरी	1.282	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 210-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	नरैनी पहाड़	1.285	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नन्दनपुर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 211-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	मुरैठा कोठार	3.409	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	नैया नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नैया नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 212-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	टीपाबदौर	0.46 कृषक भूमि.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	कदुआवन नहर योजना.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जूड़ा बांध योजना.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 213-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	तमरा पहाड़	25.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	तमरा पहाड़ बांध एवं नहर निर्माण हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी तालाब).

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 214-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बम्हौरी निजी भूमि शासकीय भूमि योग .	2.749 1.891 <u>4.640</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	मरघटी तालाब योजना

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 217-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	बहुती	0.869 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 218-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	दुअरा	1.319 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 219-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	नरसिंहपुर	2.538 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 220-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	सेमरहा पहाड़	0.328 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	गोबरदहा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोबरदहा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 223-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भगडा	11.007	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	मरघटी तालाब योजना
		निजी भूमि	0.91		
		शासकीय भूमि	योग. . 11.917		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 224-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	टीपाबदौर	कृषक भूमि 1.214 म.प्र. शासन 0.39 योग . . 1.604	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.)	कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण योजना हेतु पूरक अनुसूची.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कदुआवन बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 225-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	टीकर	18.768	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म. प्र.)	बिलबिलहा बांध निर्माण हेतु (सिंचाई एवं निस्तारी तालाब).

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 226-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	पनासी	कृषक भूमि कुल 0.080	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	पपौरा विरर कम स्टापडेम निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पपौरा विरर कम स्टापडेम निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 227-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	तेंदुआ मुतालके पुखरौड़	0.162	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 222-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मरुगंज	हरई गुजरान.	1.050	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	कदुआवन तालाब योजना के वेस्ट विरर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कदुआवन तालाब योजना के वेस्ट विरर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 229-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बभनी गढीहा निजी भूमि शासकीय भूमि योग .	8.428 0.839 <u>9.267</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रीवा (म.प्र.)	मरघटी तालाब योजना

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मरघटी तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 230-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	सेमरहा पहाड़	0.328	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोबरदहा तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 231-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की

संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	चंदेह	0.868 निजी भूमि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बमरहा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 232-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	सगरा खुर्द.	0.478 शास. कृषि प्रक्षेत्र.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रीवा (म.प्र.).	नैया नाला तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नैया नाला तालाब के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिव नारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. 8121-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-गोडीबडोना ब. नं. 101 प.ह.नं. 55 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 29.953 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	गोडीबडोना जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण के लिये भूमि का अर्जन किये जाने बाबत.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 8273-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये

प्राधिकृत करता हूँ, इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-ग्वारीबडोना ब. नं. 101 प.ह.नं. 57 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 0.700 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा.	गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने बाबत्.
(2)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.		
(3)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		
(4)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.		
(5)			अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.		

क्र. 8274-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-सातनूर ब. नं. 376 प.ह.नं. 60 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 1.732 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने बाबत्.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 8275-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-पारडसिंगा ब. नं. 236 प.ह.नं. 59 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 2.100 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	गोडीबडोना जलाशय के नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने बाबत.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 5-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	बरा	3.975	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर	उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माइनर सुरा माइनर क्र. 2 एवं डुमरा माइनर क्र. 4 के भू-अर्जन बाबत्.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माइनर, सुरा माइनर क्र. 2 एवं डुमरा माइनर क्र. 4 के भू-अर्जन बाबत्.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	डुमरा	4.875	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर	उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की डुमरा माइनर क्र. 4 के भू-अर्जन बाबत्.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की डुमरा माइनर क्र. 4 हेतु भू-अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	राजनगर	उमरया	4.800	भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर	उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माईनर के भू-अर्जन बाबत्.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—उर्मिल परियोजना के अन्तर्गत डिगौनी वितरिका की उमरया माईनर के भू-अर्जन बाबत्.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	बन्न (बरेला)	280.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला छतरपुर.	बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बानसुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु ग्राम सोरखी की भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला छतरपुर एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 11536-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	बदनावर	भैंसोला	2.672	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, धार.	अम्बापाड़ा सिंचाई तालाब के निर्माण से प्रभावित होने से.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 36-अ-82-12-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	किसलई प.ह.नं. 68	1.643	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	घुघरा नाला (हीरापुर) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, सह-भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 37-अ-82-12-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	हीरापुर प.ह.नं. 68	1.325	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	घुघरा नाला (हीरापुर) जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 39-अ-82-12-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	उर्रम प.ह.नं. 79	2.022	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	उर्रम जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 38-अ-82-12-13-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	दबकिया प.ह.नं. 69	0.346	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	उर्म जलाशय के नहर कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, सह भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. 4354-दस-भू-अर्जन-2013-प्र.क्र. 13-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	कनाड़ीकला	22.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, शहडोल.	झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम कनाड़ीकला की भूमि 22.000 हे.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4353-दस-भू-अर्जन-2013-12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	टेटका	55.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल.	झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम टेटका की भूमि 55.000 हे.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4352-दस-भू-अर्जन-2013-14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि इसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	कनाड़ी खुर्द	3.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 शहडोल.	झलमला जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम कनाड़ी खुर्द की भूमि 3.000 हे.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 30 अगस्त 2013

प्र. क्र. 12 से 17-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2)

द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोग का
	तहसील	ग्राम		अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्यौंदा	पिपरिया दौलत	12.698	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बघरू मध्यम-जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन.
	-,,-	सुमेरकासम	38.570	-,,-	
	-,,-	त्यौंदा	57.728	-,,-	
	-,,-	खिरिया	17.278	-,,-	
	-,,-	नयागांव	25.048	-,,-	
	-,,-	रहमानपुर	0.506	-,,-	

योग : 151.828

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है बघरू मध्यम परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आ रही भूमि का अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.